



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट के दौरान गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 460/2012 धारा- 394,411 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.आशीष उर्फ भाईजी पुत्र हरिकिशन तिवारी 2.शैलेन्द्र कुमार पुत्र रमेश प्रसाद नि0गण कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष के कारावास व ₹ 12,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडि.डीजीसी मणिकर्ण
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 राकेश कुमार
सरोज



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार